

शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली



भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)



रैगिंग प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा महाविद्यालय के रैगिंग पर पूर्णतः रोक लगाई है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर विधिसम्मत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -

1. रैगिंग एक अमानवीय आचरण है। शारीरिक आघात, मानसिक प्रताड़ना, अश्लील आचरण एवं सहपाठियों के साथ अनियंत्रित व्यवहार का दोषी पाये जाने पर छात्र/छात्राओं के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान है।
2. रैगिंग में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय से तत्काल निष्कासन कर दिया जायेगा।
3. संबंधित छात्र/छात्रा अथवा बाहरी तत्वों पर भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पुलिस प्रशासन को तत्काल सौंपा जायेगा।

प्राचार्य/अध्यक्ष

एन्टी रैगिंग समिति

शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली

भिलाई



GPS Map Camera

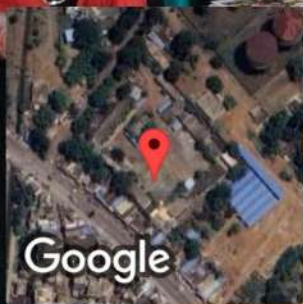
Bhilai, Chhattisgarh, India

5982+62J, Maroda Sector, Bhilai, Chhattisgarh 490006, India

Lat 21.165639°

Long 81.349907°

12/08/24 03:53 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera



Bhilai, Chhattisgarh, India

588X+3RH, Maroda Sector, Bhilai, Chhattisgarh 490006, India

Lat 21.165267°

Long 81.349833°

12/08/24 03:48 PM GMT +05:30

